२१ **न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर**

**समक्ष आशीष श्रीवास्तव**

**सदस्य**

निगरानी प्रकरण कमांक 1273–दो/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 6.4.15 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील रघुराजनगर जिला सतना प्रकरण कमांक 24–अपील/14–15

1– नगीना सिंह पिता जगदीश सिंह

2– मुस0 महदेवा कुमारी पत्नी स्व0 जगदीश सिंह

निवासी ग्राम पतौडा तहसील रघुराजनगर जिला सतना ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– शंखधर सिंह पिता स्व0 जगदीश सिंह जरिये

मुख्त्यारआम सुधाकर सिंह पिता श्री शंकधर सिंह

2– प्रभाकर सिंह पिता स्व0 भारत सिंह

3– दिवाकर सिंह पिता स्व0 भारतसिंह

4– बद्री सिंह पिता श्री सरजू सिंह

5– सीतादेवी पत्नी सारदूल सिंह

समस्त निवासी ग्राम पतौडा तहसील रघुराजनगर

जिला सतना म0प्र0 ——— अनावेदकगण

(आवेदकगण के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव )

( अनावेदकगण के अधिवक्ता श्री सुनीलसिंह जादौन)

:: आ दे श ::

( आज दिनांक 6–11– 2015 को पारित )

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर जिला सतना द्वारा प्रकरण कमांक 24/अपील/2014–2015 में पारित आदेश दिनांक 6.4.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि आराजी न0 2/2, 5 से 12 , 15/2 एवं 16/2 कुल किता 11 कुल रकवा 4.029 हैक्टेयर बाका मौजा रामस्थान तहसील रघुराजनगर जिला सतना की भूमि आवेदकगण एवं अनावेदकगण की पुश्तैनी भूमि है, जिस पर वे (आवेदकगण एवं अनावेदकगण) सहखातेदार रहे हैं तथा आपस में पारिवारिक व्यवस्था एवं सहमति के आधार पर बटवारा कर अपने अपने हिस्से में काबिज होकर कास्तकारी करते रहे हैं। इसी दौरान आवेदकगण (नगीना सिंह मुस0 महदेवा कुमारी) द्वारा अधीक्षक भू–अभिलेख भू प्रबंधन, जिला सतना के समक्ष संहिता की धारा 178 /109, 110 अंतर्गत बटवारा कर नामांतरण का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया। अधीक्षक भू– अभिलेख, भू प्रबंधन, ने प्रकरण पंजीबद्ध कर इश्तहार जारी कर कोई आपत्ती प्राप्त होने के कारण बटवारा आवेदन स्वीकार कर बटावारा करने के आदेश दिये, जिससे परिवेदित होकर अनावेदकगण(शंखधर सिंह, प्रभाकर सिंह दिवाकर सिंह, बद्री सिंह, सीता देवी ) द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर जिला सतना के समक्ष अपील प्रस्तुत कीं गई, जो प्रकरण कमांक 24/अपील/14–15 पर दर्ज होकर उसमें अनुविभागीय अधिकरी द्वारा दिनांक 6.4.15 को शंखधर आदि का धारा–5 का

आवेदन स्वीकार किया गया जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत हुई।

3– निगरानी मेमों में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

4– ~~उभय पक्ष के अधिवक्तागणों के तर्क श्रवण किये~~ तर्क में आवेदक अभिभाषक ने बताया कि अनावेदक की सहमति के आधार पर दिनांक 20.1.12 को बटवारा स्वीकृत हुआ था किन्तु उसके बाद अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत की । यह अपील अनावेदकगण द्वारा बिलंब से प्रस्तुत की गई थी किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलंब के कारण बगैर देखे धारा–5 का आवेदन स्वीकार कर लिया गया जो अनुचित है।

5– अनावेदक के अधिवक्ता ने अपने मौखिक तर्क में कहा कि तहसीलदार के प्रकरण में आवेदक द्वारा मृत व्यक्ति के घर गलत पते पर नोटिस भिजवाये गये। उन्होंने कहा कि तहसील में प्रस्तुत आवेदन में पतोडा ग्राम का पता लिखा है, जबकि नोटिस रामस्थान ग्राम भेजे गये। उन्होंने यह भी कहा अनावेदक ने न ही हस्ताक्षर किये और नही सहमति दी क्योंकि मृत व्यक्ति सहमति दे ही नहीं सकता । उन्होंने कहा कि अनावेदक के पिता भारतसिंह की मृत्यु दिनांक 8.1.2004 को हो चुकी थी, जबकि तहसील न्यायालय में उन्हें पक्षकार इस तारीख के बाद बनाया गया। इन सब बातों के कारण अनावेदक को सूचना नहीं मिली। जब दिनांक 6.8.12 की आवेदक ने अनावेदक को खेती करने से रोका तब अनावेदक ने नकल प्राप्त की, और तब अनुविभागीय अधिकारी के यहां अपील की । इस प्रकार अनावेदक की ओर से हुये बिलंब को मांफ करने में अनुविभागीय अधिकारी के पास पर्याप्त कारण थे, जिनके आधार पर ही अनुविभागीय अधिकारी ने धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया है ।

6– आवेदक अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर में कहा कि रामस्थान में सूचना पत्र इसलिये भेजे गये क्योंकि वहां भी जमीन है तथा अनावेदक को वहां नोटिस सर्व हो सकता था । साथ ही आवेदक अधिवक्ता ने यह भी कहा कि भारत सिंह की मृत्यु इत्यादि के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष नहीं लिये गये, एवं इन्हें अनावेदक अभिभाषक पहली बार राजस्व मण्डल के समक्ष रख रहे हैं, फिर किस आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने विलंब मांफ किया यह स्पष्ट नहीं है ।

7– मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय कि अभिलेख का अवलोकन किया गया जिसके उपरांत प्रमुखतः निम्न बिन्दु स्पस्ट हो जाते हैं :–

अ– अधीक्षक भू– अभिलेख के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 2.12.11 में अनावेदकगण का निवास ग्राम पतौडा लिखा है जब कि नोटिस ग्राम रामस्थान के पते पर भेजे गये हैं तथा यह नोटिस उन्हें सर्व नहीं हुये हैं ।

ब– अधीक्षक भू–अभिलेख के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 2.12.11 में अनावेदक –2 भारत सिंह का नाम लिखा है जब कि उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की, उसके अवलोकन से स्पष्ट है भारत सिंह की मृत्यु दिनांक 8.1.2004 को हुई है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा क्षमा किया गया विलंब सही होना पाया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के प्र0क0 24/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 6.4.15 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । परिणामस्वरूप निगरानी निरस्त की जाती है ।

प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

पक्षकार सूचित हों । अभिलेख वापिस हों ।

प्रकरण दाखिला द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)

सदस्य

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर